



पं. राविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक २०७२-९/अका. /अ.सं./ 2023

रायपुर, दिनांक: २१/१२/२०२३

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक 22 की धारा 28 की उपधारा 2 की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकायांतर्गत रक्षा अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

धारा	विवरण	सदस्यों का नाम
28(2)(i)	अध्ययनशाला के आचार्य	1. निरंक
28(2)(ii)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यायल, रायपुर 2. निरंक
28(2)(iii)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के सह-आचार्य	1. निरंक
28(2)(iv)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातक विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. निरंक 2. निरंक
28(2)(v)	अधिकतम दो शिक्षकों का माननीय कुलपति जी द्वारा मनोनित	1. डॉ. पी.के. कडवे, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यायल, रायपुर 1. निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी द्वारा डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, विभागाध्यक्ष-रक्षा अध्ययन विभाग, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को अध्ययन मंडल का अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार,

२०७३/२१/२०२३
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: २०७३/अका. /अ.सं./ 2023

प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: २१/१२/२०२३

- आयुक्त, उच्चशिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- संबंधित सदस्यों को
- संबंधित संकायाध्यक्षों को
- उप कुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)